



क./स्था./नर्सिंग/2019/एम्स.रायपुर/३९

दिनांक : ०८/०२/२०१९

परिपत्र / Circular

विषय :- अस्वस्थता प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश उपभोग करने के संबंध में

Subject: - Regarding availing leave on the basis of Medical Certificate.

प्रायः यह देखा जा रहा है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर में नियमित नर्सिंग अधिकारियों द्वारा अस्वस्थता प्रमाण पत्र के आधार पर परिवर्तित/अर्द्धवेतन अवकाश उपभोग किया जा रहा है एवं अवकाश उपभोग के उपरांत सक्षम प्राधिकारी अथवा स्थापना (नर्सिंग) शाखा के बिना संज्ञान में लाए एवं बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये कार्यभार ग्रहण किया जा रहा है।

तत्संबंध में निर्देशित किया जाता है कि अस्वस्थता प्रमाण पत्र के आधार पर उपभोग किये गये परिवर्तित/अर्द्धवेतन अवकाश के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने हेतु केन्द्रीय सिविल सेवा, एफ.आर. एवं एस.आर.— भाग—3, अवकाश नियम के कंडिका क्रमांक 24 के बिन्दु क्रमांक (3) (अ) (ध्वज—अ) के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

सक्षम प्राधिकारी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर द्वारा अनुमोदित।

It has been observed that the Nursing Officer working on regular basis in All India Institute of Medical Sciences, Raipur are availing Commuted Leave/HPL on the basis of Unfit Certificate and after availing the leave they joined back their duty without intimation to competent authority and fitness certificate.

Therefore it is directed that fitness certificate is must to join after availing Commuted Leave/HPL as per clause No. 24, Point no. (3) (a) of Central civil Service, FR & SR Part-III, Leave Rules.

Issued with the approval of competent authority, All India Institute of Medical Sciences, Raipur.

(व्ही. सीतारामू)

(V. Sitaramu)

प्रशासनिक अधिकारी (अस्पताल)
Administrative Officer (Hospital)
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
रायपुर (छ.ग.)
All India Institute of Medical
Sciences, Raipur (C.G.)

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर।
2. चिकित्सा अधीक्षक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर।
3. उप निदेशक (प्रशासन), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर।
4. उप चिकित्सा अधीक्षक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर।
5. सर्व विभागाध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर।
6. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर।
7. नर्सिंग समन्वयक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर।
8. सर्व नर्सिंग अधिकारी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर।
9. कार्यालयीन प्रति।